mail/Website

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/ 6340 दिनांकः 27.12.19

आदेश

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतपत्रों के मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय के अतिरिक्त निजी मुद्रणालयों से भी कराया जाता है। इन मुद्रणालयों में मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् अधिशेष और रद्दी मतपत्रों को नष्ट (Disposed) करने के संबंध में आयोग द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं:–

1. पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान समाप्त हो जाने एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाने के पश्चात् कि किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी मतदान बूथ पर मतदान के स्थगन या नए सिरे से मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, मुद्रणालयों पर अधिशेष एवं रद्दी मतपत्रों के छोटे–छोटे टुकडे किए जाकर फर्श की बुहारन को श्रेडिंग (Shredding) करवाकर लुगदी बनाने के प्रयोजन से विक्रय किया जाए। श्रेडिंग करते समय पूर्ण सतर्कता बरती जाए एवं यह ध्यान रखा जाए कि कोई मतपत्र या उसकी कतरन अप्राधिकृत व्यक्ति के हाथों में नही पड जाए।

2. राजकीय मुद्रणालय से मतपत्रों के मुद्रण की स्थिति में उक्तानुसार श्रेडिंग का कार्य अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय के स्वयं की उपस्थिति में एवं निजी मुद्रणालय से मुद्रण की स्थिति में यह कार्य संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के देख–रेख में संपन्न किया जाकर उक्त आशय का प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को परिणामों की घोषणा के पश्चात् 15 दिवस में प्रेषित किया जाए।

3. उक्तानुसार मतपत्रों के रद्दी के विक्रय हेतु संबंधित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय अथवा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाएगी एवं रद्दी को अधिकतम मूल्य पर विक्रय कर प्राप्त धनराशि को निम्नांकित बजट मद में जमा कराकर आयोग को सूचित किया जाएगा।

   0515 – अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
   101 – पंचायतीराज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां
   (1) – पंचायत चुनाव की प्राप्तियां

आज्ञा से
(हस्ताक्षर) 27/12
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/ 6341-43 दिनांक : 27.12.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
3. समस्त अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान।

(हस्ताक्षर) 23.12.2015
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान